महत्वपूर्ण एवं खास

26 लाख के गांजा के साथ अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार

सुकमा-रायपुर (आरएनएस)। जिले के केरलापाल थाना पुलिस का गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने महाराष्ट्र के बड़े शहरों में खपाने के लिए ले जाए जा रहे भारी मात्रा में गांजा पकड़ा है. इस कार्रवाई में पुलिस ने तस्करों के पास से 257.835 किलोग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 25,78,350 रुपये है. इसके साथ ही 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को भी गिरफ्तार किया है. बता दें, जिले की पुलिस लगातार तस्करी के खिलाफ अभियान चला रही है. इसी बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ओडिशा से मादक पदार्थ का परिवहन किया जा रहा है. सूचना के आधार पर, 9 अक्टूबर 2024 को थाना केरलापाल के निरीक्षक गोविंद यादव के नेतृत्व में पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-30 पर नाकाबंदी की। चेकिंग के दौरान एक सफेद रंग की होण्डा सिटी कार (नंबर.रक्क 05.र्य 0567) को रोका गया. कार की तलाशी लेने पर डिग्गी और सीट के नीचे से 67 पैकेट गांजा बरामद किया गया, जिसका वजन 257 किलोग्राम से अधिक था। जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों के नाम सुनील रामजीयावन (25 वर्ष) और परकले करन (29 वर्ष) हैं और दोनों महाराष्ट्र के निवासी हैं. पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने यह मादक पदार्थ ओडिशा से खरीदकर महाराष्ट्र के बड़े शहरों में खपाने की योजना बनाई थी. वे ओडिशा के मल्कानगिरी से गांजा लेकर तेलंगाना होते हुए महाराष्ट्र के बड़े शहरों में खपाने लेकर जा रहे थे. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ थाना केरलापाल में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(ख) के तहत मामला दर्ज किया है और न्यायालय में पेश करने की तैयारी है।

नहर में कूदी किशोरी चार दिन बाद मिली मृत स्थिति में

कोरबा (आरएनएस)। काफी समय से परेशान चल रही एक किशोरी ने समस्या से छुटकारा पाने के लिए बायीं तट नहर में छलांग लगा दी थी। 4 दिन बाद वह मृत स्थिति में मिली हैं। पुलिस ने मर्ग कायम किया है। परिजनों से पूछताछ के बाद इस मामले में अगली कार्रवाई की जाएगी। मृतका की पहचान 15 वर्षीय एकता मरावी के रूप में की गई है जो कोरबा के मानिकपुर चैकी अंतर्गत वाल्मिकी अंबेडकर नगर की रहने वाली थी। बुधवार को शाम वह पावर हाउस रोड से स्टेशन जाने वाले मार्ग पर हसदेव लेफ्ट बैंक कैनाल मैं कूद गई थी। यह सब एकाएक हुआ था। घटनाक्रम के दौरान किशोरी को ऐसा करते पॉइंट ड्यूटी पर मौजूद एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने देख लिया था। जिस पर उसने किशोरी को बचाने के लिए फौरन नहर में छलांग लगा दी। लेकिन नहर के तेज बहाव में किशोरी को उस समय नहीं खोजा जा सका। जानकारी सार्वजनिक होने पर आसपास के गोताखोरों को भी सक्रिय किया गया था कि किशोरी को बचाया जा सके लेकिन इसके कोई नतीजे नहीं आ सके। लेकिन जांच का काम लगातार चल रहा था। चार दिन बीतने पर एकता के बारे में जानकारी मिली लेकिन यह नकारात्मक रही। पता चला कि रायगढ़ जिले की खरसिया क्षेत्र अंतर्गत बरगढ़ में कैनाल की ब्रांच में झाडियों में उसका शव मिला है। आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी इसके कुछ देर बाद स्पष्ट हुआ कि यह वही किशोरी है जो कोरबा में कुदी हुई थी। इसकी जानकारी यहां दी गई जिसके बाद परिजन रवाना हुए। बताया गया कि इस मामले में मर्ग कायम किया गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे की जांच पड़ताल में प्राप्त होने वाले तत्वों के आधार पर कार्यवाही करने की बात कही है। जानकारी यह भी मिली है कि घटना दिवस को किशोरी अपने एक परिचित युवक के साथ निकली थी और कुछ घंटे बाद उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। कहा जा रहा है यह किसी कारण से उस पर बार-बार आर्थिक जरूरत की पूर्ति के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिससे वह मुश्किल में थी। माना जा रहा है कि पुलिस इस प्रकरण में इन सभी तथ्यों को शामिल कर सकती है।

नक्सलियों के बिछाए आईईडी में पैर गंवाने वाले नक्सल पीड़ितों को मिला कृत्रिम पैर का सम्बल

❐ आभार जताने अपने कृत्रिम पैर से चलकर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निवास पहुंचे नक्सल पीड़ित

रायपुर। आरएनएस

वनोपज संग्रहण या खेती कार्य जैसे अपनी दैनिक जीवनचर्या के बीच जंगलों के रास्ते गुजरते समय नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी बमों में ब्लास्ट की अलग-अलग घटनाओं में अपना पैर गंवाकर अपाहिज की दर्दभरी जिंदगी जी रहे बस्तर के ग्रामीणों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश व उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल पर कृत्रिम पैर का संबल मिल रहा है। पहले चरण में नक्सल हिंसा प्रभावित ऐसे 6 लोगों को फिजिकल रेफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर समाज कल्याण परिसर माना कैंप रायपुर में कृत्रिम पैर लगाकर चलने की ट्रेनिंग दी गई। आईईडी ब्लास्ट में पैर खोने के बाद से चलने फिरने के लिए दूसरों पर निर्भर हो गए ये लोग अब कृत्रिम पैर पाकर इतने उत्साहित हैं कि खुद अपने पैरों से चलकर आज उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निवास अपनी खुशी व्यक्त करने पहुंचे।

नक्सलियों द्वारा बिछाए आईईडी में पैर गवाने वाले नक्सल पीड़ितों को मिला कृत्रिम पैर का सम्बल नक्सलियों द्वारा बिछाए आईईडी में पैर गवाने वाले नक्सल पीड़ितों को मिला कृत्रिम पैर का सम्बल

उल्लेखनीय है कि बस्तर क्षेत्र के लगभग 70 नक्सल पीड़ितों ने बस्तर शांति समिति की पहल पर विगत सितंबर माह में दिल्ली जाकर जंतर मंतर में प्रदर्शन करने के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें आप बीती बताते हुए बस्तर में शांति की गुहार लगाई थी। वहीं दिल्ली से लौटकर वे आए तो उपमुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने निवास कार्यालय में एक-एक पीड़ितों से बात कर उनका हालचाल जाना था और उनका हौसला बढ़ाया था और आईईडी ब्लास्ट में पैर गवा चुके पीड़ितों के कृत्रिम पैर लगवाने के निर्देश दिए थे।

नक्सलियों द्वारा बिछाए आईईडी में पैर गवाने वाले नक्सल पीड़ितों को मिला कृत्रिम पैर का सम्बल नक्सलियों द्वारा बिछाए आईईडी में पैर गवाने वाले नक्सल पीड़ितों को मिला कृत्रिम पैर का सम्बल

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देशानुसार आईईडी ब्लास्ट में अपने अंग खोने वाले ग्रामीणों का समाज कल्याण विभाग के सहयोग से ऐसे नक्सल हिंसा पीड़ितों को कृत्रिम अंग लगाने की शुरुआत हो गई है। कृत्रिम पैर लगाने के लिए बस्तर से 9 नक्सल पीड़ित का आना तय हुआ था, किंतु व्यक्तिगत कारणों से 3 पीड़ित अभी नहीं पहुंच पाए। इस प्रकार 6 नक्सल पीड़ित गुड्डू लेकाम बीजापुर, अवलम मारा बीजापुर, सुक्की मडक़म सुकमा, सोमली खत्री बीजापुर, खैरकम जोगा बीजापुर, राजाराम बीजापुर को फिजिकल रेफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर समाज कल्याण परिसर माना कैंप रायपुर में कृत्रिम पैर लगाए गए।

कृत्रिम पैर लगने के बाद इनकी जिंदगी एक नई करवट ले रही है। उपमुख्यमंत्री शर्मा के निवास पहुंचे इन नक्सल पीड़ितों ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि अब वे अच्छा महसूस कर रहे हैं। कदम-कदम पर किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिंदगी में अब आगे बढऩे और कुछ हासिल करने की सोच सकते हैं। हालांकि नक्सलियों ने जो छीना है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की संवेदनशीलता से उन्हें कृत्रिम पैर सुलभ होने के साथ जीवन में नया उत्साह आया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार का आभार व्यक्त किया।

ग्राम खैरपुर में नशा मुक्ति और सड़क सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा-निर्देशन में नशा मुक्ति और सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के तहत आज ग्राम खैरपुर में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व निरीक्षक रामकिंकर यादव ने किया, जिसमें नशे के दुष्प्रभाव और सड़क सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

निरीक्षक रामकिंकर यादव ने स्थानीय निवासियों, ट्रक ड्राइवरों और खलासियों को संबोधित करते हुए नशे से होने वाले सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि नशा व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति को कमजोर करता है, जिसके कारण वह न केवल अपने जीवन को संकट में डालता है, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी हानि पहुंचाता है। नशे की लत आर्थिक समस्याओं का कारण बनती है, जिससे परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और घरेलू कलह और अपराधों में भी वृद्धि होती है।

सड़क सुरक्षा के महत्व पर बात करते हुए, निरीक्षक रामकिंकर यादव ने बताया कि वाहन चलाते समय नशे की स्थिति दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है। नशा करने वाले ड्राइवरों की प्रतिक्रिया समय धीमी हो जाती है, जिससे गंभीर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इसके अलावा, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के उपयोग, विशेषकर मैसेज पढ़ने या भेजने से ध्यान भटकता है, जो दुर्घटना का कारण बन सकता है।

टीम के सदस्यों ने बैनर और पोस्टर के माध्यम से ट्रक ड्राइवरों और खलासियों को नशे से दूर रहने और सड़क पर सुरक्षित तरीके से वाहन चलाने के प्रति जागरूक किया। विशेष रूप से यह बताया गया कि नशा करने से न केवल सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है, बल्कि यह सामाजिक और पारिवारिक बर्बादी का भी प्रमुख कारण बनता है।

टीआई अनुरंजन लकडा ने सड़क सुरक्षा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, जैसे:

- नशे की हालत में वाहन न चलाना।
- ट्रैफिक नियमों का पालन करना।
- सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग।
- हेलमेट पहनने की आदत विकसित करना।
- वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करना।

इस जागरूकता कार्यक्रम में निरीक्षक रामकिंकर यादव, निरीक्षक अनुरंजन लकड़ा, प्रधान आरक्षक संजय यादव, प्रधान आरक्षक बिहारी एक्का, आरक्षक महेंद्र बिंझवार* और जसपाल शर्मा शामिल रहे। उन्होंने भी उपस्थित लोगों से नशे और सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए सतर्क रहने की अपील की।

कार की चेकिंग में मिले 2 करोड़ 27 लाख 50 हजार नगदी

कवर्धा-रायपुर (आरएनएस)। थाना चिल्पी टीम द्वारा आबकारी चेकपोस्ट के पास संदिग्ध वाहनों का लगातार सघन चेकिंग किया जा रहा है आज दिनांक-11/10/2024 को चेकिंग के दौरान प्रात: करीबन 09:30 बजे मण्डला तरफ से एक नीला रंग का मारुजि एस क्रास कार क्रमांक एमपी-51, सीए-9891 आया जिसे रोका गया उसमें 03 लोग बैठे थे जिनका नाम पता पूछने पर अपना नाम- 01. गगन जैन पिता स्व. गिरीश जैन उम्र 33 साल सा. वार्ड-08 राम वार्ड मण्डला जिला - मण्डला म.प्र. 02. अमन जैन पिता स्व. गिरीश जैन उम्र 30 साल सा. वार्ड - 08 राम वार्ड मण्डला जिला - मण्डला म.प्र., 03. नवीन ठाकुर पिता ताराचंद्र ठाकुर उम्र 25 साल सा. हेजा नगर थाना महराजपुर जिला मण्डला म.प्र., बताये वाहन को चेक करने पर पीछे कार की डिग्गी मे अलग-अलग थैलियों में 500-500 सौ रूपये के गड्डी भारी मात्रा में नगदी रकम मिला। उक्त वाहन क्रमांक एमपी-51, सीए-9891 एवं वाहन में बैठे 03 व्यक्तियों को थाना परिसर लाकर उक्त वाहन में रखे नोटों से भरे थैलियों को निकालकर नोट गिनने वाले मशीन मंगवाकर नोटों का गिनती किया गया। गिनती करने पर 500-500 सौ रूपये के 455 गड्डीयाँ प्रत्येक गड्डी में 500 रू. के 100 नग नोट प्रत्येक गड्डी में 50 हजार रू. की राशि है जुमला नोट की संख्या 45500 हजार नग नोट जुमला राशि कुल 2,27,50000 / रूपये (अक्षरी दो करोड़ सत्ताईस लाख पचास हजार रूपये) एवं एस काम कार क्रमांक एमपी-51, सीए-9891 कीमती 400000 रू. कुल जुमला 2,31,50000 रू. को जप्त किया गया।

राज्य के चार नवीन मेडिकल कालेज भवन निर्माण के लिए 1020 करोड़ रूपए का ई-टेंडर जारी

❐ 24 माह में पूरा होगा निर्माण कार्य, सीजीएमएससी होगी निर्माण एजेंसी

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य के विकास के लिए कृतसंकल्पित हैं। तरक्की और सुशासन का ये सफर स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के रूप में भी नजर आ रहा है।। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ मिलकर स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और नई सुविधाओं के विकास पर विशेष जोर दिया है। इसी बात के मद्देनजर मुख्यमंत्री साय की पहल और और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में राज्य के चार नवीन मेडिकल कालेजों के भवन के लिए निविदा जारी कर दी गयी है।

राज्य में जांजगीर चांपा, कबीरधाम, मनेंद्रगढ़ और दंतेवाड़ा के गीदम में चार नवीन मेडिकल कालेज बनेंगे। इनकी प्लानिंग, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग और निर्माण कार्य के लिए 1020.60 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। 11 अक्टूबर से बिड डाक्यूमेंट आनलाइन उपलब्ध होंगे तथा इन्हें जमा करने की अंतिम तारीख 7 नवंबर होगी।

ई- टेंडर जारी होने पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का इजाफा करना है ताकि राज्य के युवाओं के साथ ही प्रत्येक वर्ग के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके और स्थानीय लोगों को इलाज के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध हो सके।

खाद्य प्रतिष्ठानों का किया गया निरीक्षण : 5 नमूने पाए गए अवमानक, संबंधित प्रतिष्ठान को दिया गया नोटिस

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा त्योहार पर्व को ध्यान में रखते हुये लगातार सघन जॉच/निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत रायगढ़ जिले के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से जॉच/विश्लेषण हेतु नमूने संकलित किये गये। इन नमूनों को चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से त्वरित जॉच की कार्यवाही किया गया। जिसमें 08 फर्म-सुश्री होटल कबीर चौक, मुन्ना डेयरी जेल परिसर, चॉवला रेस्टोरेंट चक्रधर नगर चौक, नूतन स्टोर चक्रधर नगर चौक, अपना स्टोर बोईरदादर रोड, अलंकार स्वीट्स गोपी टॉकीज रोड, आसुतोष रेस्टोरेन्ट ढिमरापुर चौक, गृहणी स्टोर ढिमरापुर चौक से कुल 40 विभिन्न प्रकार के नमूनें जैसे-बर्फी, लडडू, छेना पुड़ा, जलेबी, चमचम, चोकोबाईट बिस्कुट, दुध पाउडर आदि खाद्य पदार्थों को जॉच/विश्लेषण हेतु लिया गया। जिसमें कुल 35 नमूने मानक पाये गये तथा 05 नमूने अवमानक पाये गये। अवमानक नमूने फर्म-आशुतोष रेस्टोरेन्ट, ढिमरापुर चौक से मिठा चटनी, पेड़ा एवं गृहणी स्टोर, ढिमरापुर चौक से अरहर दाल, शक्कर तथा काबुली चना अवमानक प्राप्त होने पर संबंधित फर्म/प्रतिष्ठान को नोटिस जारी किया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा लगातार सघन जॉच/निरीक्षण की कार्यवाही आगामी माह तक निरंतर जारी रहेगा। उक्त कार्यवाही अंकित गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, शाश्वत तिवारी, नमूना सहायक, सुमन अग्रवाल नमूना सहायक एवं टीम द्वारा किया गया।

फिरौती के लिए मासूम को किया अगवा फिर गला रेतकर नदी किनारे दबाया : सनसनीखेज हत्याकांड में नाबालिग भी शामिल

बलरामपुर-रायपुर। आरएनएस

शहर में 2 पड़ोसियों ने 10 साल के बच्चे को अगवा कर मार डाला। पहले बच्चे का गला घोंटा, जब वह बेहोश हो गया तो उसका गला रेत कर सिर को धड़ से अलग कर दिया। आरोपियों में नाबालिग भी शामिल है। मामला वाड्रफनगर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, तोरफा गांव निवासी अशोक पाल के बेटे बृजेश का शव 6 अक्टूबर को घर से करीब 500 मीटर दूर सिर कटी और सड़ी-गली हालत में मिला था। पुलिस ने इस मामले में गांव के ही 20 लोगों से पूछताछ की। इसमें सामने आया कि बच्चे की हत्या फिरौती के लिए की गई है। पुलिस ने बताया कि, अशोक पाल मजदूरी और खेती-किसानी का काम कर करता है। उसने बाइक खरीदने के लिए 80 हजार रुपए एकत्र किए थे। करीब 11 दिन पहले वह बाइक लेने वाड्रफनगर भी गया था। हालांकि किसी कारण से बाइक नहीं ले सका और लौट आया। इसकी जानकारी पड़ोस में रहने वाले रवि पाल (19) को लगी। इस पर पैसे की लालच में उसने अशोक के बेटे बृजेश को किडनैप कर फिरौती वसूलने की साजिश रची। आरोप है कि 2 अक्टूबर को रवि ने बृजेश को अपने घर बुलाया और वहां से जंगल की ओर ले घुमाने के बहाने ले गया। काफी देर होने पर बृजेश जाने लगा तो रवि ने उससे रुकने के लिए कहा और पैसे वसूलने की बात कही। साथ ही बृजेश को भी लालच दिया, लेकिन उसने मना कर दिया। घर जाने की जिद कर बृजेश भागने की कोशिश करने लगा। इस पर रवि भड़क गया और उसने पहले बृजेश की पिटाई की, फिर गला दबा दिया। गला दबाने से बृजेश बेहोश हो गया। पकड़े जाने के डर से रवि ने बृजेश की शर्ट उतारी और उसकी आस्तीन से गला रेत कर काट दिया। इस दौरान पड़ोस में रहने वाला नाबालिग भी मिल गया। उसकी मदद से रवि ने बच्चे के धड़ और सिर को नदी किनारे झाडिय़ों में छिपा दिया।

नमक को खाद बताकर बेचने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के फरार आरोपी गिरफ्तार

❐ नमक को रंगकर खाद का देते थे रूप

पखांजूर-रायपुर। आरएनएस

दिनाँक 02/07/2024 को कृषि विभाग द्वारा पखांजूर में ट्रक क्रमांक 9189 से बरामद खाद का परीक्षण पश्चात खाद नकली होना पाये जाने पर थाना पखांजूर में अपराध क्रमांक 147/2024 धारा 318(4),3(5),336 (3),338,340(2) बीएनएस, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 दिनाँक 22/07/2024 को पंजीबद्ध किया गया था। जिसमें दो आरोपियों अनिमेश घरामी निवासी पीव्ही 23 लखनपुर तथा ट्रांसपोर्टर उस्मान खान निवासी राजस्थान की गिरफ्तारी की गई थी। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी. , वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कांकेर आई. के. एलेसेला के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पखांजूर डॉ. प्रशांत शुक्ला, एसडीओपी पखांजूर रवि कुजूर के पर्यवेक्षण में, थाना प्रभारी पखांजूर लक्ष्मण केवट के मार्गदर्शन में थाना पखांजूर की टीम प्रकरण की विवेचना हेतु राजस्थान भेजी गई थी। विवेचना में यह तथ्य प्राप्त हुए थे कि बरामद अमानक खाद नावा सिटी राजस्थान से परिवहन कर छत्तीसगढ़ लाया गया था। विवेचना के दौरान नमक को रंगकर उसे खाद की बोरी में भरकर खाद के रूप में विक्रय करने वाले गिरोह का भण्डाफोड़ हुआ। इस गिरोह में जैन केम फूड नावा सिटी के मालिक विनोद कुमार जैन, विनय कुमार जैन और उपकार जैन निवासी नावा सिटी जिला डीडवाना राजस्थान अधिक मुनाफे के लिए अपनी फैक्ट्री में नमक को रंगीन बनाकर नकली पोटाश खाद के रूप में तैयार किया जाता था। शिवकृष्ण गुर्जर निवासी और ओमप्रकाश भदाना निवासी जयपुर राजस्थान, जैन केम फूड फैक्ट्री में इंडियन पोटास लिमिटेड हाईटैक बायोटैकनोलाजी लिखा हुआ (प्रिंटेड) बारदाना (बोरा) पहुँचाते थे जिसमें इस नकली पोटाश खाद की पैकेजिंग की जाती थी। शिवकृष्ण गुर्जर और ओमप्रकाश भदाना इस नकली खाद की मार्केटिंग करते थे और अपनी पार्टनरशिप फर्म ओपीएस किसान एग्रोकेयर प्रा0लि0 के बिल के द्वारा विक्रय कर ट्रांसपोर्टर दौलत सिंह निवासी नावा सिटी राजस्थान की ट्रक में लोड करवाकर विभिन्न राज्यो के विक्रेताओं को भेजते थे। पखांजूर थाना की पुलिस टीम ने नावा सिटी राजस्थान से अपराध में शमिल चार आरोपियों विनोद कुमार जैन, विनय कुमार जैन, उपकार जैन और दौलत सिंह को गिरफ्तार कर 7/9/2024 को जेल भेजा गया था। प्रकरण के अन्य आरोपी शिवकृष्ण गुर्जर और ओमप्रकाश भदाना फरार चल रहे थे जिनकी गिरफ्तारी हेतु उपनिरीक्षक रामचन्द्र साहू के नेतृत्व में टीम राजस्थान भेजी गई थी। पुलिस टीम ने फरार आरोपियों के निवास ग्राम सुरगढ़ जिला गंगापुर सिटी में दबिश दी। पुलिस को देखकर दोनो आरोपी भागने लगे जिनका 2 किलोमीटर तक पीछा करते हुए उन्हें पुलिस टीम ने धर दबोचा। राजस्थान जाकर आरोपियों की गिरफ्तारी में उपनिरीक्षक रामचन्द्र साहू, आरक्षकगण जोसेफ बड़ा, राजेंद्र माहेश्वरी और डोमेस्वर यामले की महत्वपूर्ण भूमिका रही। राजस्थान पुलिस का भी सरायनीय सहयोग प्राप्त हुआ।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियों की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंर्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU